महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांक स्था./एच.ओ/स्थाना./2019/ 39872-917 दिनांक 25-9-2020

समस्त,
अधीक्षक/उपाधीक्षक,
केन्द्रीय/जिला कारागृह।

विषयः- विभाग में कार्मिकों के स्थानान्तरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण से दिनांक 31.10.2020 तक के लिए प्रतिबन्ध हटा लिया गया है। अतः आपकी एवं आपकी अधीनस्थ कारागृहों पर पदस्थापित मुख्य प्रहरी से कारापाल सवंर्ग के कार्मिक जिन्हें कारागृह पर तीन वर्ष की पदस्थापन अवधि पूर्ण हो चुकी है उनसे तीन इच्छित स्थान का स्थानान्तरण प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर संलग्न प्रारूप में तैयार कराने के उपरान्त स्वंय के हस्ताक्षरों से प्रमाणित करते हुए दिनांक 09.10.2020 को सायं 05.00 बजे तक ई-मेल आईडी **establishmenttransfer@gmail.com** पर साफ्ट कॉपी में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें :-

1. उक्त सवंर्ग व अन्य सभी भी संवर्ग के कार्मिकों का स्थानान्तरण हेतु सीधे किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार उन्हें स्वंय की कारागृह के माध्यम से उपरोक्त ई-मेल आई.डी. पर आवेदन करना होगा।
2. संबंधित कारागृह प्रभारी आवेदित आवेदन के संबंध में संलग्न प्रारूप में सूचना तैयार कर उक्त ई-मेल आई.डी. पर भिजवाते हुए हार्ड कॉपी स्वंय की कारागृह पर सुरक्षित रखेगें। तथा सॉफ्ट कॉपी उक्त ई-मेल आईडी पर निश्चित समयावधि पर भिजवाये।
3. दो वर्ष व इससे अधिक अवधि से कार्यरत प्रहरियों का स्थानान्तरण संबंधित उपमहानिरीक्षक कारागार रेंज द्वारा संबंधित मण्डल में निर्धारित स्थानान्तरण नीति प्रकिया के अनुरूप किया जावें। दो वर्ष से कम तथा एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानान्तरण चाहने वाले प्रहरियों का स्थानान्तरण उपमहानिरीक्षक कारागार रेंज द्वारा नहीं किया जावेंगा। अपितु उनके द्वारा ठोस आधार (स्वयं/आश्रित परिजन के असाध्य बीमारी का वर्तमान प्रमाण तथा विकट घरेलू परिस्थितियों का आवेदक द्वारा प्रमाण प्रस्तुत करने पर) पर प्रकरण संलग्न प्रारूप अनुसार तैयार कर उक्त ई-मेल आई.डी. पर निर्धारित तिथि तक भिजवाया जाकर हार्ड कॉपी स्वंय के कार्यालय में सुरक्षित रखी जावेंगी। एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानान्तरण चाहने वाले उपरोक्त गंभीर परिस्थितयों से ग्रसित प्रहरी व महिला प्रहरी अपने प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख आवश्यक रूप से करेंगे कि उन्हें राजस्थान अधीनस्थ कारागार नियम 1998 के नियम 35 के स्पष्टीकरण 2(ii) में विद्यमान नियमों के तहत मण्डल परिवर्तन पर उन्हें दूसरे मण्डल में वरिष्ठता में सबसे नीचे रखा जाता है तो इस बाबत् कोई आपत्ति नहीं है।
4. प्राप्त प्रकरणों पर कारागृहों की रिक्तियों एवं उनकी सुरक्षा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा अंतिम निर्णय लिया जावेगा। आवेदन करते समय प्रत्येक कर्मचारी अपने विवेक का प्रयोग करते हुए इच्छित स्थान अंकित करेंगे। इस कार्यालय द्वारा रिक्ति की उपलब्धता अनुसार स्थानान्तरण कर दिया जावेंगा।

5. आवेदन उक्त ई-मेल के माध्यम से निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार होंगे। निर्धारित तिथि पश्चात तथा सीधे भेजे जाने वाले आवेदन स्वीकार नहीं होगें। उक्त के अतिरिक्त कोई भी कार्मिक स्थानान्तरण हेतु आवेदन स्वयं की कारागृह के माध्यम से एक बार ही करेगा। अनेकों बार किये जाने वाले आवेदन स्वीकार नहीं होगें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

25/9/20

(विक्रम सिंह)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को प्रेषित कर लेख है कि आपकी कारागृह पर कार्यरत उक्त सवंर्ग के कर्मचारियों के संबंध में भी उपरोक्त अनुसार सूचना निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें:-

1. उपमहानिरीक्षक कारागार रेंज जयपुर,जोधपुर,उदयपुर।
2. अधीक्षक/प्रभारी, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर,जोधपुर,उदयपुर,कोटा,अजमेर,भरतपुर।
3. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर।
4. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर।
5. विशिष्ठ केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास दौसा।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर

स्थानान्तरण हेतु कर्मचारियों के प्राप्त प्रार्थना पत्र के संबंध में विवरण में विस्तृत विवरण का प्रारूप

S.N.	नाम	पदनाम तथा बै.नं. यदि लागू हो	पदस्थापन कारागृह	वर्तमान कारागृह पर पदस्थापन तिथि	गृह जिला	चयनित मण्डल	कारागृह/कार्यालय का नाम जहां स्थानान्तरण चाहा गया है	मण्डल जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया है	पूर्व पदस्थापन कारागृह का नाम	स्थानान्तरण चाहे जाने का कारण	वर्तमान कारागृह पर पदस्थापन का कारण(स्वेच्छिक, प्रशासनिक, शिकायतन)	कार्मिक द्वारा जिस कारागृह पर स्थानान्तरण चाहा जा रहा है, वहां पर पूर्व में कब–कब पदस्थापित रहा है, की पूर्ण अवधि	कर्मचारी मूल पदस्थापन स्थान पर है, अथवा अन्य कारागृह पर अटैच है।(अटैच कारागृह का नाम व तिथि)

संबंधित कारागृह अधिकारी के हस्ताक्षर
मय सील